पत्र सं0–12/निजी–70902/2023 सा0प्र0....................../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–................../2026

विषयः– **श्री गोपाल प्रसाद, बि0प्र0से0, को0क्र0–295/24, विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अविनियमित अवधि के विनियमन के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–953, दिनांक–03.07.2025 एवं आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा का पत्रांक–3161, दिनांक–06.12.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना के प्रसंगवर्णित पत्र के द्वारा श्री गोपाल प्रसाद, बि0प्र0से0, को0क्र0–295/24, विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के दिनांक–19.08.2011 से दिनांक–09.09.2011 तक की अवधि के अविनियमित होने की सूचना विभाग को उपलब्ध करायी गयी।

2. आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा के पत्रांक–3161, दिनांक–06.12.2025 द्वारा सूचित किया गया कि श्री प्रसाद द्वारा दिनांक–19.08.2011 से दिनांक–09.09.2011 तक कुल–22 दिनों की उपार्जित छुट्टी हेतु अनुरोध किया गया था। श्री प्रसाद द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा के विभिन्न पत्रों के माध्यम से कतिपय सूचनाओं की मांग तत्समय जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से की गयी थी। वांछित सूचना अप्राप्त रहने की स्थिति में श्री प्रसाद के दिनांक–19.08.2011 से 09.09.2011 तक कुल–22 दिनों की उपार्जित छुट्टी पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा सकी।

3. अतः आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमण्डल, छपरा द्वारा किये गये अनुरोध, प्रस्तुत साक्ष्य एवं श्री प्रसाद, बि0प्र0से0 के पक्ष में दिनांक–18.08.2011 तक वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये छुट्टी आदेयता प्रतिवेदन के आधार पर श्री गोपाल प्रसाद, बि0प्र0से0, को0क्र0–295/24, विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के दिनांक–19.08.2011 से दिनांक–09.09.2011 तक की अविनियमित अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित छुट्टी के रूप में विनियमित किया जाता है।

4. उक्त अवधि में श्री प्रसाद, बि0प्र0से0 को कोटि वेतन देय होगा।

5. विनियमन के निर्णय में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–12/निजी–70902/2023 सा0प्र0– 5523/पटना, दिनांक– 23.3./2026

प्रतिलिपिः– सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/श्री गोपाल प्रसाद, बि0प्र0से0, को0क्र0–295/24, विशेष कार्य पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.2026

सरकार के उप सचिव।